UPFR010026292026

**न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, फर्रुखाबाद।**

उपस्थित– अभिनितम उपाध्याय ..... एच.जे.एस.,(JO Code– UP6192)

सत्र परीक्षण संख्या–637/2023, राज्य बनाम अमित यादव आदि

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–752/2026**

अवनीश यादव उर्फ चूरामन उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व० किशनपाल सिंह निवासी कुडा, थाना नयागांव, जनपद एटा।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार ––––––अभियोजन।

**मु०अ०सं०–490/2022**
**धारा–302 भा०दं०सं०**
**थाना–मउदरवाजा**
**जनपद–फर्रुखाबाद**

**दि. 10–07–2026**

1. आवेदक/अभियुक्त **अवनीश यादव उर्फ चूरामन** की तरफ से चीफ लीगल मण्ड डिफेंस काउन्सिल श्री शिवनरेश सिंह एवं अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

2. आवेदक/अभियुक्त अवनीश यादव उर्फ चूरामन द्वारा प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 752/2026 मय शपथपत्र, मु०अ०सं०–490/2022, धारा–302 भा०दं०सं०, थाना–मउदरवाजा, जनपद फर्रुखाबाद के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्त एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा उपलब्ध अभिलेखों सहित पत्रावली का अवलोकन किया।

4. **अभियोजन कथानक–** पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि इस मामले में सर्वप्रथम वादी रामवीर सिंह की तरफ से प्रस्तुत घटनाक्रम के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 490/2022 दिनांक 03–11–2022 को थाना मउदरवाजा में धारा 302, 201 भा०दं०सं० में दर्ज हुई, जिसमें अभियुक्तगण लालू नाई, अमित यादव व एक अज्ञात को नामित किया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण लालू नाई व अवनीश उर्फ चूरामन के विरुद्ध आरोपपत्र दिनांकित 18–06–2023 प्रेषित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट कथानक संक्षेप में यह है कि वादी रामवीर सिंह के मामा महिपाल सिंह उम्र करीब 65 वर्ष कई सालों से वादी के घर पर रह रहे थे जो वादी के घर से करीब चार माह पहले आकर साढू सुरेन्द्र सिंह के साथ रह रहे थे। दिनांक 11–10–2022 को सुबह समय करीब 09:00 बजे वादी के गांव के लालू नाई (पुत्र स्व० भुनातर) अमित यादव के

साथ मोटरसाइकिल से मामा के घर कटरा बक्सी गये जो दरवाजे पर सुरेन्द्र सिंह के सामने बातचीत किये तो मामा महिपाल सिंह ने लालू से कहा कि मेरे उधार के रुपये दो तथा जिनको उधार दिलाये हो, उनसे भी दिलाओ। तब लालू ने कहा कि जल्दी ही वह पैसे दे देगा एवं अन्य लोगों से भी दिलवा देगा। मेरे साथ चलो तो कहीं न कहीं से कुछ रुपया दिलवा दूंगा। तब मामा महिपाल को लालू व अमित अपने साथ मोटरसाइकिल से लिवा ले गये। मामा सोने की चेन, दो अंगूठी पहने थे, जिनमें एक चांदी की थी तथा दोनों पर कछुआ की डिजाइन बनी थी। उनके पास 10–20 हजार रुपये रहते थे। जब कई दिन वापस नहीं आये तो दिनांक 28–10–2022 को थाने पर गुमशुदगी लिखवायी। दिनांक 02–11–2022 को वादी एवं सुरेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक सुरेश सिंह चाहर के साथ जाकर थाना मोहम्मदाबाद पर दिनांक 15–10–2022 को मिले अज्ञात शव के कपड़े व फोटो की पहचान की, तो वादी व सुरेन्द्र सिंह ने तुरन्त पहचान लिया कि यह फोटो व कपड़े वादी के मामा महिपाल सिंह के ही हैं।

5. **जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार–** आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रुप से यह कथन किया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त दिनांक 07–05–2023 से जिला कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध है। वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त को सहअभियुक्त के संस्वीकृत बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा सम्पूर्ण घटना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं न ही उसे किसी केस में सजा हुई है। अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने से उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रस्तुत आपत्ति में विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से मुख्यतः कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के मामा को ले जाकर उनकी हत्या कर हत्या के साक्ष्य को विलुप्त करने के लिए लाश का फेंक दिया गया एवं मृतक के रुपये, चेन व अंगूठी निकाल ली गयी। अभियुक्त का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। अभियुक्त पर उक्त मुकदमें के अतिरिक्त भी अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

7. सहअभियुक्त मुन्नालाल द्वारा केस डायरी के पर्चा नं० 6 में अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में सहअभियुक्त अमित यादव के फोन पर स्वयं व अभियुक्त अवनीश उर्फ चूरामन **(वर्तमान अभियुक्त)** का जाना एवं जहानगंज रोड पर सुनसान जगह पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर महिपाल को पकड़ने का कथन किया गया है। साथ हीं अभियुक्त लालू द्वारा महिपाल सिंह (मृतक) के ईंट कनपटी व शरीर पर मारकर महिपाल की हत्या कर लाश को सड़क के किनारे

खन्ती में फेंक देना एवं महिपाल की जेब से 7600/–रुपये, सोने की चेन, पीली व सफेद धातु की अंगूठी (जिस पर कछुआ डिजाइन होना) निकालने एवं सफेद धातु की अंगूठी व 1500/–रुपये सहअभियुक्त लालू द्वारा सहअभियुक्त अमित को दिए जाने का कथन किया है। मृतक का शव विच्छेदन अज्ञात के रुप में किया गया है। मृतक के कपड़ो की पोटली देखकर वादी मुकदमा व सुरेन्द्र सिंह द्वारा कपड़ों की शिनाख्त करते हुए कपड़े महिपाल सिंह की पहचान की गई। शव विच्छेदन आख्या में मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की लेसेरेटिड व कन्टीयूजन की दो चोंटें सिर तथा कंधे पर होना तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के परिणामस्वरुप शॉक व हेमरेज होना अंकित किया गया है।

8. अभियुक्त के विरुद्ध विवेचक द्वारा पूरक आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त की पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 27–07–2023 के आदेश से आरोप विरचित हो चुका है। पत्रावली अभी विचारण के स्तर पर है। विवेचना के दौरान अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर तथा दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए, जिनके बावत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अलग से आरोपपत्र प्रेषित किया गया। इस मामले का भी विचारण साथ में ही चल रहा है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित हो चुका है। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर लम्बित है। अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 220/2019 थाना कम्पिल पूर्व में दर्ज होने के बावत आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है।

9. अतः मामले के अब तक के दर्शित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

10. आवेदक/अभियुक्त **अवनीश यादव उर्फ चूरामन** की ओर से मु०अ०सं०–490/2022, धारा 302 भा०दं०सं०, थाना–मउदरवाजा, जिला–फर्रूखाबाद के मामले में प्रस्तुत **प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 752/2026** निरस्त किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद व जेल अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़ को प्रेषित की जाए तथा एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांकः 10–07–2026

(**अभिनितम उपाध्याय**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०–01, फर्रूखाबाद।
ID– UP6192